

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रा०वि०वाद सं०- 02 / 21-22


रबीना अल्वी बनाम् मु० समसुल वगै०

-: आदेश :-

वर्तमान वाद आवेदिका रबीना अल्वी, पे०-स्व० जुलाम, सा०-ईटवा मिलिक, थाना व अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-नयाचक नं०-200, जमाबंदी नं०-05, रकवा-04-06-01, जमाबंदी नं०-06, रकवा-00-19-12, मौजा-ईटवा मिलिक नं०-199, जमाबंदी नं०-06, रकवा-01-13-00 एवं मौजा-झुरकुसिया नं०-202, जमाबंदी नं०-07, रकवा-10-01-05 धूर से विपक्षीगण मु० समसुल, पे०-स्व० शे० गफुर, गुलजारी खातुन, पे०-स्व० मु० डीलर, दोनों सा०-ईटवा मिलिक, थाना व अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक-440/रा०, दिनांक-13.10.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकनोपरांत प्रतीत होता है कि मामला स्वत्व से संबंधित है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से संभव है। अतः आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


17.01.23

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


17.01.23

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Signature
27/1/23